महत्वपूर्ण एवं खास

ई-पास जारी करने हेतु अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा अधिकृत

रायगढ़ । नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19)संक्रमण के रोकथाम हेतु पूरे विश्व में लॉक डाउन किया गया है तथा रायगढ़ जिले में धारा 144 प्रभावशील है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने शासन के ई-पास पोर्टल के द्वारा ई-पास जारी करने हेतु अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा को अधिकृत किया है तथा उनके कार्यालयीन सहयोग हेतु सहायक ग्रेड-3 विरेन्द्र कुमार राठिया को आगामी आदेश पर्यन्त तक ड्यूटी लगाई है।

कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज सहित मेडिकल स्टॉफ को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मुहैय्या कराने आदेश जारी

रायगढ़ । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19)महामारी के लक्षण प्राप्त होने पर जिन मरीजों को कांन्ट्राइंड किया गया है एवं जिन मरीजों को संदिग्ध ठहराया गया है उन्हें आवश्यक पुलिस सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। साथ ही इस कार्य में लगे हुए डॉक्टर्स और अन्य लोगों की सुरक्षा बढ़ाने तथा कोविड-19 लक्षणों की जांच हेतु संदिग्ध स्थानों पर दौरा करने वाले चिकित्सा कर्मचारियों के लिए भी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया है।

लाकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में कांग्रेस नेता सहित 7 पर मामला दर्ज

कवर्धा (आरएनएस)। जिले में लॉकडाउन के बाद भी गांव में बैठक कर आपस में वाद विवाद करने को लेकर सहसपुर लोहारा पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 144 उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों में एक व्यक्ति जिला कांग्रेस कमेटी कवर्धा का पूर्व मीडिया प्रभारी चोवाराम साहू भी है। सभी के खिलाफ लोहारा तहसीलदार की शिकायत पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि ग्राम रक्से में शनिवार की शाम को कुछ लोग किसी बात को लेकर गांव के ही चौक में चर्चा कर रहे थे, इसी बीच आपस में विवाद शुरू हो गया। मामले की सूचना सहसपुर लोहारा तहसीलदार को दी गई। सूचना के आधार पर तहसीलदार जब गांव पहुंची तब विवाद चल रहा था। जिसके बाद सहसपुर लोहारा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर जिला कांग्रेस कमेटी कवर्धा का पूर्व मीडिया प्रभारी चोवाराम साहू, कलेश कुमार, भुवनेश्वर साहू, प्रकाश खरे, अश्वनी कुमार, बलराम साहू एवं मोरज साहू के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर रिमांड पर भेजा गया है।

छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए 50 लाख रूपए का योगदान

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न लॉकडाउन के दौराना कोराना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, खपरी (कुम्हारी) द्वारा 50 लाख रूपए की सहयोग राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सहयोग के लिए छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड का आभार व्यक्त किया है।

नगरीय प्रशासन मंत्री के शासकीय आवास में सेनेटाईजर टनल स्थापित

रायपुर (आरएनएस)। नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने अपने शासकीय आवास सी-2 शंकर नगर में सेनेटाईजर टनल का शुभारंभ किया । डॉ. डहरिया स्वयं सेनेटाईज होकर लोगों को हैण्डवॉश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग करने के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अपील की । उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा अनेक उपाय किये जा रहे है । लोगों में कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सेनेटाईज होना भी जरुरी माना गया है, इसी उद्देश्य से नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया ने अपने शासकीय आवास में सेनेटाईजर टनल स्थापित करवाया है । जब लॉक डाऊन के बाद सामान्य स्थिति हो जायेगा तो मंत्री से मिलने अथवा कार्यालय में अपने काम को लेकर आने वाले लोग सेनेटाईज हो सकेंगे, जिससे कोरोना की रोकथाम एवं नियंत्रण में बड़ी राहत साबित होगी ।

रायगढ़ पुलिस द्वारा दिगर प्रांतों में फंसे हुए रायगढ़ के रहवासियों की, कराई जा रही है मदद

» जिले के नोडल अधिकारियों द्वारा की जा रही है मॉनिटरिंग

» दिगर राज्यों के स्थानीय प्रशासन व पुलिस से ली जा रही है मदद

» रायगढ़ के अस्थाई कैंपों में ठहराए गए श्रमिक भी प्रशासन व पुलिस की देखरेख में

रायगढ़ । लाक टाउन दौरान एक जिले से दूसरे जिले तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों की आवाजाही पर रोक होने से रायगढ़ जिले के रहवासी छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न जिलों में फंसे हुए हैं । उसी प्रकार दीगर प्रांत के रहवासी व श्रमिकों को स्थानीय प्रशासन व पुलिस द्वारा अस्थाई कैंपों में रखवाया गया है । जिनके रहने, खाने की व्यवस्था देखने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस विभाग से नोडल अधिकारी नियुक्त है । वे इन कैम्पो में ठहराए गए व्यक्तियों को रहने खाने आदि की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ।

इसी प्रकार जिला प्रशासन व पुलिस विभाग से नोडल अधिकारी बनाए गए हैं जो दिगर प्रांत में फंसे हुए रायगढ़ के रहवासियों को इस लाक डाउन दौरान रहने खाने की व्यवस्था है या नहीं इसकी जानकारी लेकर उन्हें वहां के स्थानीय प्रशासन व पुलिस से मदद मुहैया करवा रहे हैं ।

पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर एडिशनल एसपी रायगढ़ अभिषेक वर्मा को नोडल अधिकारी एवं उप पुलिस अधीक्षक (आईयूसीएडब्ल्यू) श्रीमती गरिमा द्विवेदी को नोडल अधिकारी बनाया गया है ।

डीएसपी गरिमा द्विवेदी व उनके स्टाफ द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ से प्रतिदिन दिगर प्रांतों में फंसे हुए रायगढ़ के रहवासियों से मोबाइल पर सीधे संपर्क कर उनके रहने खाने आदि की जानकारी ले रहें हैं और उन्हें वहां के स्थानीय प्रशासन अथवा पुलिस से यथासंभव मदद करा रहे हैं ।

डीएसपी गरिमा द्विवेदी ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ से रायगढ़ के रहवासियों को कॉल कर उनका कुशलक्षेम पूछने पर वे पुलिस को साधुवाद देते हैं कि उनके जिले की पुलिस को उनकी फिक्र है । वहीं कुछ श्रमिकों के मदद कराए जाने पर उनके द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर मदद के लिए साधुवाद भी दिया गया है ।

साथ ही इस जिले के अस्थाई कैंपों में रह रहे लोगों की भी जानकारी मोबाइल से सीधे दिगर प्रांत के श्रमिकों से डीएसपी गरिमा द्विवेदी द्वारा लिजा रहा है अब तक जिले के कैंपों में रह रहे रहवासियों द्वारा रहने, खाने को लेकर कोई समस्या होना नहीं बताया गया है ।

इसके अलावा दिगर प्रांत के लोग जो किराए के मकानों में निवासरत है अथवा ड्राइवर या कोई और कार्य करते हैं, इस लाक डाउन में भोजन आदि की समस्या होने की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारियों द्वारा यथासंभव मदद किया जा रहा है ।

जिले में विदेश से आये 209 में से 186 एवं अन्य राज्यों से आये 6057 में से 5702 यात्री होम आईसोलेशन में

» स्वास्थ्य विभाग कर रहा है इनकी नियमित मॉनिटरिंग

रायगढ़ । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. एन. केशरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 01 जनवरी 2020 के बाद विदेशों से कुल 209 यात्री आये हैं जिसमें से 186 यात्रियों का होम आईसोलेशन एवं क्वारेंटाईन की अवधि 28 दिवस पूर्ण हो चुका है। शेष 23 यात्रियों को होम आईसोलेशन में रखा गया है। इनके घरों के आस-पास 50 घरों का कम्यूनिटी सर्वेलेंस किया गया है एवं सतत् निगरानी रखी जा रही है।

जिले में अन्य राज्य से अब तक कुल 6057 यात्री आये हैं जिसमें से 301 यात्रियों का होम आईसोलेशन की अवधि 28 दिवस पूर्ण हो चुका है। शेष 5702 यात्रियों को होम आईसोलेशन में रखा गया है एवं सतत् निगरानी की जा रही है। जिले में कुल 127 व्यक्तियों का सेम्पल संग्रहण कर जांच हेतु भेजा गया है। जिसमें से 115 व्यक्तियों का रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुआ है। शेष 12 का रिपोर्ट अप्राप्त है। वर्तमान में जिले में किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 बीमारी के लक्षण नहीं पाये गये है एवं आज दिनांक तक कोई भी कोविड-19 के पॉजिटीव मरीज नहीं है। निजामुद्दीन से आये जमाती लोगों के निवास के इलाकों में कन्टेन्मेंट प्लान के तहत चांदनी चौक एवं छातामुड़ा में 1 कि.मी.के दायरे के लगभग 3000-3000 घरों में सर्वे कार्य कराया जा रहा है, जिसके तहत आज दिनांक तक चांदनी चौक क्षेत्र में 1765, छातामुड़ा क्षेत्र में 1091 कुल 2856 घरों का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें से 30 व्यक्तियों को सामान्य सर्दी-खांसी एवं 2 व्यक्तियों को सामान्य बुखार के लक्षण पाये गये। जिनकी सूची तैयार की जा रही है एवं आवश्यकता पडने पर सैम्पल लिया जाएगा।

जिले के सभी निवासियों से अपील है कि लॉकडाउन को सफल बनाएं एवं सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करें तभी इसके प्रसार को नियंत्रित किया जा सकेगा। जिले में यदि ऐसे किसी भी प्रवासी व्यक्ति की जानकारी उन्हें प्राप्त होती है, तो टोल फ्री नम्बर 104 पर एवं अंतर्विभागीय समन्वय हेतु दोनों नम्बर 9589356700 तथा 9981811582 पर एवं जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल सूचना देवें। कोरोना संक्रमण के विरूद्ध लड़ाई में प्रशासन का सहयोग करें और अफवाहों से दूर रहें।

लोगों को जंगल मे अकेले नहीं जाने कलेक्टर ने की अपील

गरियाबन्द (आरएनएस)। जंगल मे जानवरो के द्वारा लगातार आमजनों के ऊपर किये जा रहे हमले को लेकर कलेक्टर श्याम धावड़े द्वारा जिले में लोगों को अकेले जंगल मे नही जाने अपील किया गया है। उन्होंने कहा कि गरियाबंद जिला वन क्षेत्र होने के साथ-साथ वन्यप्राणी बाहुल्य जिला है। जिले में तेन्दूआ, भालू एवं अन्य वन्यप्राणी बहुतायत में पाये जाते है। कोरोना (कोविड-19) संक्रमण के कारण पूरा प्रदेश में लाकडाऊन है और लाक डाऊन के दौरान जन सामान्य के दैनिक कार्यप्रणाली में अन्तर आया है। वन क्षेत्रों में मानव दबाव कम होने एवं माहौल शांत होने के कारण वन्यप्राणी वनों से खुले क्षेत्र में गांव की ओर आने लगे है पिछले कुछ दिनों से लॉक डाऊन के पश्चात वनों के करीब एवं झरनों से घिरे हुये वन में तेन्दूआ, भालू एवं अन्य वन्यप्राणी के विचरण की सूचना लगातार प्राप्त हो रही है। जिससे वन्य प्राणी एवं मानव द्वंद के कारण जन हानि की क्षति होना पाया गयाहै। वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं स्वयं की सुरक्षा हेतु इन बातों का ध्यान रखा जावे जिससे कोई अप्रिय घटना घटित न हो ।

वनमण्डलाधिकारी मयंक अग्रवाल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अकेले जंगल न जाए। महुआ बिनने या अन्य वनोपज के संग्रहण के लिए जंगल जाने की जरूरत पड़ती है तो दिन में ही जावें, अकेले न जावे एवं सोशल डिस्टेसिग का ख्याल रखें।शाम को 06 बजे के बाद किसी भी स्थिति में जंगल में न रहे। बुजुर्ग एवं बच्चे घर में ही रहें ये जंगल कदापि न जावें। छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जावे । यह भी ध्यान सुनिश्चित करें की ये अपने बाड़ी में भी अकेले न घुमें ।

नापतौल पर गड़बड़ी या अधिक मूल्य पर सामान बेचने पर होगी कार्रवाई

महासमुंद (आरएनएस)। कलेक्टर सुनील कुमार जैन के निर्देश पर कोराना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए जिले मे सभी आवश्यक सामग्री की उपलब्धता अधिकतम खुदरा मूल्य(स्त्रक्क) के भीतर आम जनता तक सुनिश्चित करने एवं नाप तौल में गड़बड़ी करने वाले और निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर सामान बेचने वाले दुकानदारों, व्यापारियों पर रोक लगाने के लिए अनुभाग महासमुंद अन्तर्गत गठित जांच दल द्वारा पटेवा क्षेत्रान्तर्गत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान किराना, मेडिकल स्टोर्स, सब्जी, फल संस्थान सहित शासकीय उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया गया। नाप तौल की टीम ने विभिन्न संस्थानों को आम जनों को निर्धारित कीमत पर ही आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए । जिसमे आलू , प्याज, सब्जी, फल, मास्क, सेनेटाइजर, चांवल, शक्कर आदि की जांच किया गया जहां कीमत निर्धारित कीमत पर बेचा जा रहा है ।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर दो मेडिकल स्टोर्स को नोटिस

रायगढ़ । कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देशन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के उप संचालक ने भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसार रायगढ़ के एमजी रोड स्थित विकास मेडिकल स्टोर्स के प्रो.श्री सूरज प्रकाश सलूजा एवं ढिमरापुर चौक रायगढ़ के विजय मेडिकोज के प्रो.श्रीमती पिंकी अग्रवाल को अपने दुकान के बाहर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी किया है। उक्त मेडिकल स्टोर्स को तीन दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बेहद सावधानी बरत रहे अबूझमाड़िया जनजाति

रायपुर (आरएनएस)। कोराना वायरस के संक्रमण के खिलाफ पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। लोगों से घर पर ही रहने की अपील की गई है। संक्रमण से रोकथाम के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा सभी संभव बेहतर उपाय किए जा रहे है। राज्य शासन द्वारा राहत एवं जागरुकता कार्यक्रम भी चलाये जा रहे है। कोरोना संक्रमण के संबंध मे अबूझमाड़ियां जनजाति के लोग भी अपनी जागरुकता का परिचय दे रहे है। अबूझमाड़ नारायणपुर जिले के नक्सल प्रभावित ओरछा विकासखंड का अतिसंवेदनशील एवं नक्सल हिंसाग्रस्त क्षेत्र है। कोराना से बचाव के प्रति उनकी जागरूकता, सजगता राज्य के लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

माड़ियां लोगों से जब कोराना से बचाव के संबंध मे बातचीत की जाती है तब वे कहते है पहले हाथ धो फिर भात खाओ। कोराना से बचाव के प्रति उनकी यह जागरूकता अब धीरे-धीरे भीतरी इलाकों के गांव में भी पहुंचने लगी है। अबूझमाड़ एक दुर्गम वन क्षेत्र है,जो चारों और से पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। लेकिन फिर भी यहां के अबूझमाड़िया कोरोना या अन्य गंभीर बीमारी के प्रति काफी जागरूक हो गये है। वे स्वच्छता पर भी ध्यान दे रहे है। इनके जागरुकता के लिए स्वास्थ्य विभाग के मितानिनों, आर.एच.ओ., आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं शाला आश्रमों के शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है।

जिले में राज्य शासन द्वारा जनहितकारी योजनायें चलायी जा रही है जिसका लाभ यहाँ के आदिवासी उठा रहे है। वर्षो पहले स्थिति ऐसी थी कि लोग बड़ी बीमारी होने पर देवी-देवताओं का प्रकोप मानते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। जिले के अधिकांश क्षेत्रों में अब जरूरी बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही है।

मितानिन द्वारा नियमित रुप से ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ-साथ दीवार लेखन के द्वारा जागरुकता का कार्य किया जा रहा है। अनपढ़ लोगों को उनकी स्थानीय भाषा में कोराना एवं अन्य बीमारियों के बचाब के संबंध मे जानकारी दी जा रही है। खाने से पहले और बाद में हाथ धोने और स्वच्छता संबंधी बातें बताई जाती है। गांव के किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होने पर

दूषित पेयजल की पाईपलाईन तत्काल बन्द कर प्रभावितों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए-बृजमोहन

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर में पीलिया के बढ़ते प्रकोप को लेकर विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने रायपुर कलेक्टर एस. भारती दासन और नगर निगम कमिश्नर सौरभ कुमार

को युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए खराब पाइप लाइन को तत्काल बदलने, व नालियों के नीचे से गए हुए पाइपलाइनों को ऊपर करने तथा वाटर स्टेशन में फिल्टर बदलने में लापरवाही करने के दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

अग्रवाल को चांगोरा भाटा,महामाई पारा,पुरानी बस्ती क्षेत्र, सुंदर नगर वार्ड के क्षेत्र में दूषित पानी सप्लाई के चलते पीलिया के बढ़ते मरीजों की जानकारी मिली थी जिस पर उन्होंने नगर निगम के आला अफसरों को क्षेत्र की पाइप लाइन दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे।परंतु पीलिया के मरीजों की में तेजी से वृद्धि होने पर आज अग्रवाल ने नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर से बात कर तत्काल सुधार कार्य करवाने के निर्देश दिए।

बृजमोहन ने आला अफसरों से कहा कि शहर में जहा जहा पीलिया के मरीज सामने आ रहे है उनका इलाज करवाया जाए। दूषित पेयजल की सप्लाई लाइन तत्काल बंद कर प्रभावित लोगों को शुद्ध पेजजल उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने कहा कि अमृत मिशन योजना के तहत रायपुर शहर की सभी पुरानी पेयजल पाइप लाइनों को बदलने का कार्य किया जाना था परंतु यह कार्य अभी तक अपूर्ण है।

उन्होंने निगम कमिश्नर से कहा कि हुए गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या तथा दूषित पेयजल की शिकायत कुछ वर्षो से निरंतर मिल रही है। फौरी कार्यवाही कर ठीक तो कर दिया जाता है परंतु आने वाले वर्षो में यही समस्या फिर खड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन इन मामलों को गंभीरता से नहीं ले रहा। उन्हें पाईपलाईन बदले के कार्य मे तेजी लानी होगी और जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध हो तथा आने वाले वर्षो में ऐसी समस्या फिर से न आये यह सुनिश्चित करना होगा।

राशन दुकानों से खाली हाथ न लौटे जनता-

कलेक्टर से चर्चा करते हुए बृजमोहन ने राशन दुकानों में जनता को आ रही समस्याओं पर बात रखीं उनसे कहा कि बहुत से राशन दुकानों के माध्यम से लोगों को राशन नही मिल पा रहा है।

बिना किसी अपवाद सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, समारोह, जुलूस के आयोजन पर है रोक

» कलेक्टर यशवंत कुमार ने जारी किया आदेश

रायगढ़, 12 अप्रैल 2020/ नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19)महामारी संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन के दिशा-निर्देश के तहत भारत सरकार द्वारा लॉक डाउन के उपायों पर 24, 25, 27 मार्च 2020 एवं 2 एवं 3 तथा 10 अप्रैल 2020 में समेकित दिशा-निर्देश जारी किए गए है। उक्त दिशा-निर्देशों के खण्ड-09 एवं 10 में प्रदर्शित लॉक डाउन के उपायों के अधीन किसी अपवाद के बिना धार्मिक समूह को अनुमति नहीं दिया गया है एवं समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों, समारोह पर रोक लगाया गया है।

इस संबंध में कलेक्टर यशवंत कुमार ने आदेश जारी किया है जिसमें उल्लेख है कि माह अप्रैल 2020 के त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए लॉक डाउन के उपायों का कठोरता से अनुपालन कराया जाए। साथ ही किसी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों, समारोह, जुलूस की अनुमति नहीं दिया जाए। समस्त इकाईयों एवं अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था, शांति एवं लोक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु सभी आवश्यक निवारक/प्रतिबंधात्मक कदम उठाये जाए। किसी आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार के खिलाफ, सोशल मिडिया पर समुचित सतर्कता बरती जाए। लॉक डाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत दाण्डिक प्रावधानों के अधीन कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

बैंक के असिस्टेंट मैनेजर से मारपीट के 3 आरोपी गिरफ्तार

जगदलपुर (आरएनएस)। जिले के बड़ाजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बेलर में स्थित सेंट्रल बैंक के असिस्टेंट मैनेजर दीपक कुमार से मारपीट करने वाले दो आरोपी भाई-बहन और उसके एक सहयोगी को बड़ाजी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ही आरोपी को शहर के अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। 02 दिनों तक पुलिस को काफी मशक्कत करने के बाद तीनों के ठिकानों का पता चला और पुलिस ने दबिश देकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। लोहंडीगुड़ा के एसडीओपी राकेश कुर्रे ने बताया कि कुछ दिन पूर्व शंकर यादव और उसकी बहन मीनाक्षी यादव ने ग्राम बेलर के स्थित सेंट्रल बैंक के असिस्टेंट मैनेजर दीपक कुमार से लोन के लिए चेक होल्ड कर रखने की बात पर उनके साथ जमकर मारपीट कर दिया था।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480